न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या – 178/2019

आरसीएमएस नं. 2019/00178

1. जलंधर सिंह पुत्र श्री सुखदेव सिंह जाति जट सिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. बलजिन्द्र सिंह पुत्र श्री सुखदेव सिंह जाति जट सिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

—— अपीलांट

बनाम

1. नसीब कौर पत्नी श्री सुखादेव सिंह जाति जट सिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. वीरपाल कोर पुत्री श्री सुखदेव सिंह जाति जट सिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3. अमृतपाल कौर पुत्री श्री सुखदेव सिंह जाति जट सिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
4. जगदेव सिंह पुत्र जंगीर सिंह जाति जट सिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
5. तेज कौर पत्नी बलदेव सिंह जाति जट सिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
6. कलवन्त सिंह पुत्र बलदेव सिंह जाति जट सिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
7. गुड्डी कौर पुत्री बलदेव सिंह जाति जट सिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
8. सिमर सिंह पुत्र ज्वाला सिंह जाति जट सिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
9. जसपाल सिंह पुत्र साधु सिंह जाति जट सिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
10. हरमन्द्र सिंह पुत्र साधु सिंह जाति जट सिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

11. बीरबल सिंह पुत्र साधु सिंह जाति जट सिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
12. गग्गी सिंह पुत्र काटू सिंह जाति जट सिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
13. जसवीर कौर पत्नी हरनेक सिंह जाति जट सिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
14. सुखजीत सिंह पुत्र हरनेक सिंह जाति जट सिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
15. हरजीत सिंह पुत्र हरनेक सिंह जाति जट सिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
16. लाल सिंह पुत्र नन्द सिंह जाति जट सिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
17. कृपाल सिंह पुत्र नन्द सिंह जाति जट सिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
18. मिठू सिंह पुत्र बहाल सिंह पुत्र नन्द सिंह जाति जट सिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
19. गुरदेव सिंह पुत्र बहाल सिंह पुत्र नन्द सिंह जाति जट सिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
20. गुरमेल सिंह पुत्र गुरबचन सिंह पुत्र निहाल सिंह जाति जट सिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
21. अर्जन सिंह पुत्र प्रेम सिंह जाति जट सिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
22. नाजर सिंह पुत्र गुरनाम सिंह पुत्र अर्जन सिंह जाति जट सिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
23. मनजीत सिंह पुत्र बलवीर सिंह पुत्र पंजाब सिंह जाति जट सिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
24. जसवन्त सिंह पुत्र बलवीर सिंह पुत्र पंजाब सिंह जाति जट सिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
25. पप्पी सिंह पुत्र मुखत्यार सिंह जाति जट सिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
26. बलदेव सिंह पुत्र मुखत्यार सिंह जाति जट सिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
27. जग्गा सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह जाति जट सिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
28. बोहड़ सिंह पुत्र मल सिंह जाति जट सिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

29. जीत सिंह पुत्र मल सिंह जाति जट सिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
30. कलवन्त सिंह पुत्र हरनेक सिंह पुत्र शेर सिंह पुत्र कुन्डा सिंह जाति जट सिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
31. रिक्का सिंह पुत्र शेर सिंह पुत्र कुन्डा सिंह जाति जट सिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
32. केहर सिंह पुत्र कुन्डा सिंह जाति जट सिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
33. नक्षत्र सिंह पुत्र जगर सिंह पुत्र कुन्डा सिंह जाति जट सिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
34. सरजीत सिंह पुत्र जगर सिंह पुत्र कुन्डा सिंह जाति जट सिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
35. सुखमन्द्र सिंह पुत्र जगर सिंह पुत्र कुन्डा सिंह जाति जट सिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
36. हरबंस सिंह पुत्र जगर सिंह पुत्र कुन्डा सिंह जाति जट सिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
37. निका सिंह पुत्र नत्थू सिंह जाति जट सिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
38. बलजीवन सिंह पुत्र नत्थू सिंह जाति जट सिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
39. हरदयाल सिंह पुत्र नत्था सिंह जाति जट सिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
40. चेत सिंह पुत्र दलीप सिंह जाति जट सिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
41. सुखचैन सिंह पुत्र जीवन सिंह पुत्र दलीप सिंह जाति जट सिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
42. नक्षत्र सिंह पुत्र जीवन सिंह पुत्र दलीप सिंह जाति जट सिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
43. चरना सिंह पुत्र जीवन सिंह पुत्र दलीप सिंह जाति जट सिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
44. जीत सिंह पुत्र दलीप सिंह जाति जट सिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
45. राजेन्द्र सिंह कंग पुत्र बलवीर सिंह पुत्र देस कौर पत्नी दलीप सिंह जाति जट सिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
46. पिन्द्र सिंह पुत्र जंगीर सिंह जाति जट सिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

47. अर्जन सिंह पुत्र लाला सिंह जाति जट सिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
48. गुरभत सिंह पुत्र करनैल सिंह पुत्र केहर सिंह जाति जट सिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
49. गुरजीत सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह पुत्र केहर सिंह जाति जट सिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
50. सरजीत सिंह पुत्र केहर सिंह जाति जट सिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
51. गुलाब सिंह पुत्र मेहर सिंह पुत्र लाल सिंह जाति जट सिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
52. करतार सिंह पुत्र शाम सिंह जाति जट सिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
53. बन्ता सिंह पुत्र शाम सिंह जाति जट सिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
54. गुरदित सिंह पुत्र सुन्दर सिंह जाति जट सिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
55. भान सिंह पुत्र सजन सिंह जाति जट सिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
56. धन्ना सिंह पुत्र सजन सिंह जाति जट सिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
57. प्रताप सिंह पुत्र सजन सिंह जाति जट सिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
58. नारायण सिंह पुत्र दान सिंह जाति जट सिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
59. बलदेव सिंह पुत्र हरि सिंह जाति जट सिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
60. गुड्डी पुत्री प्रीतम सिंह पुत्र गुरमुख सिंह पुत्र दयाल सिंह जाति जट सिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
61. अमर सिंह पुत्र बिसन सिंह जाति जट सिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
62. कर्म सिंह पुत्र बिसन सिंह जाति जट सिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
63. धर्म सिंह पुत्र बिसन सिंह जाति जट सिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
64. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

65. सुखमन्दर सिंह उर्फ हरमन्दर सिंह पुत्र हरचंद सिंह जाति जट सिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

—— रेस्पोडेंट

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 16.09.2019
द्वारा सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी राजस्व, संगरिया
अनवान ''जलंधर सिंह आदि बनाम नसीब कौर आदि'' प्र. सं. 43/2018
उपस्थितिः—

श्री, महेन्द्र सिंह सन्धू, खुशप्रीत सिंह सन्धू अधिवक्ता अपीलांट
श्री राजेश दीपराय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या
श्री वतनदीप सिंह अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या
श्री प्रधुमन परमार अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या
श्री बलविन्द्र सिंह अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या

निर्णय दिनांक 04.01.23

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बअनवानी ''जलन्धर सिंह आदि बनाम नसीब कौर आदि'' प्रस्तुत कर कथन किया कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 एक ही परिवार के सदस्य हैं तथा चक 18 एएमपी खाता संख्या 93/80 93 खाता लाल सिंह आदि जमाबंदी सम्वत 2071—74 में हरनाम सिंह पुत्र बिशन सिंह के नाम से सांझा खाता में आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा हरनाम सिंह पुत्र बिशन सिंह फौत हो चुके हैं। स्व0 हरनाम सिंह के नाम अपने नाम दर्ज आराजी की वसीयत अपने तीन पुत्रों व पुत्री साधू सिंह, जंगीर सिंह, हरनेक सिंह पिसरान हरनाम सिंह, बलवीर कौर पुत्री हरनाम सिंह के पक्ष में तहरीर करवाकर उप पंजीयक गिदड़बाहा के समक्ष बरोबरू गवाहान तस्दीक करवा दी थी। मुताबिक साधु सिंह, जंगीर सिंह, हरनेक सिंह पिसरान हरनाम सिंह बलवीर कौर पुत्री हरनाम सिंह खातेदार काश्तकार है। बलवीर कौर पुत्री हरनाम सिंह अविवाहित फौत हो गई। बलवीर सिंह के हक व हिस्से की आराजी के उनके नजदीकी वारिस साधु सिंह, जंगीर सिंह हरनेक सिंह पिसरान हरनाम सिंह ही विरासतन खातेदार काश्तकार है तथा मुताबिक वसीयत चक 18 एएमपी खाता संख्या 93/80, 93 में हरनाम सिंह पुत्र किशन सिंह उर्फ बिशन सिंह के नाम दर्ज आराजी के साथ साधु सिंह, जगीर सिंह, हरनेक सिंह पिसरान हरनाम सिंह बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार हैं जिसमें तीनों के जायज व कानूनी वारिसान हरनाम सिंह के नाम दर्ज आराजी के खातेदार काश्तकार हैं जिसमें जगीर सिंह के

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

वारिसान जगदेव सिंह, बलदेव सिंह व ज्वाला सिंह द्वारा जंगीर सिंह से औद होने वाले हक को अन्य खातों में प्राप्त कर लिया है जिस कारण जंगीर सिंह के 1/3 हिस्से की घोषणा सुखदेव सिंह प्राप्त करने का अधिकारी था। सुखदेव सिंह की मृत्यु हो चुकी है। सुखदेव सिंह के जायज व कानूनी वारिसान वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 द्वारा अपने हिस्से का परित्याग वादीगण के पक्ष में कर दिया जिस कारण स्व.श्री हरनाम सिंह के नाम दर्ज आराजी में 1/3 हिस्सा की घोषणा वादीगण करवाने के अधिकारी हैं तथा वादीगण के कब्जा काश्त में चक 18 एएमपी, पत्थर नम्बर 126/159 मुरब्बा नम्बर 21 किला नम्बर 5, 6/0.506 हैक्टेयर है जिसकी घोषणा करवाकर खाता अलग कायम करवाने के अधिकारी होने बाबत वाद पेश किया। उक्त वाद में प्रतिवादी संख्या–16 जसवीर कौर द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी प्रस्तुत किया कि वादीगण द्वारा धारा 53 (5) आरटीए में दिये गये आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत वाद प्रस्तुत किया है तथा पूर्ववर्ती वाद संख्या 19/2007 में अपना अनुतोष प्राप्त किया जा चुका है। वादी पुनः दूसरा वाद नहीं ला सकता। वाद वादीगण विधि द्वारा वर्जित है जिस कारण काबिल खारिजी है। वादीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि पूर्ववर्ती वाद संख्या 19/2007 में वादीगण द्वारा अपने पिता के नाम दर्ज आराजी प्राप्त करने बाबत था तथा वर्तमान वाद हरनाम सिंह पुत्र बिशन सिंह के नाम दर्ज आराजी में अपना हिस्सा प्राप्त करने के लिए है। पूर्ववर्ती वाद में वर्तमान आराजी शामिल नहीं थी तथा विषयवस्तु व पक्षकार भी भिन्न थे जिस कारण वाद वादीगण पूर्णतः विधि सम्मत होने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16.09.2019 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार करते हुए वाद पत्र वादीगण खारिज कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया जिसके विरूद्व अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. अपीलांट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रश्नगत आराजी पूर्ववर्ती वाद में शामिल नहीं थी। पूर्ववर्ती वाद की विषयवस्तु व वर्तमान वाद की विषयवस्तु भिन्न भिन्न होने के कारण आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में वाद पत्र खारिज नहीं किया जा सकता। पूर्ववर्ती वाद संख्या 19/2007 अपीलांट के पिता सुखदेव सिंह पुत्र जंगीर सिंह के नाम दर्ज आराजी बाबत था। उक्त वाद पत्र हरनाम सिंह पुत्र बिसन सिंह के नाम दर्ज आराजी में से अपना हिस्सा प्राप्त करने के लिये है। पूर्ववर्ती वाद में हरनाम सिंह पुत्र बिसन सिंह की किसी भी आराजी का विवाद नहीं था। वर्तमान वाद की विषयवस्तु व पक्षकार भिन्न भिन्न है तथा दोनों वाद पत्रों के अनुतोष भी भिन्न भिन्न है। धारा 53 (5) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में एक से अधिक जोत के विभाजन बाबत वाद प्रस्तुत किये जाने का उल्लेख है, लेकिन उक्त प्रावधान आज्ञापक नहीं है। अपीलांट ने अपनी

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

बहस के समर्थन में डीएनजे 1998 सुप्रीम कोर्ट पेज 323, सिविल कोर्ट कैसेज 2014 (3) पेज 499, डीएनजे 2006 (1) राजस्थान पेज 88, डीएनजे 2014 (2) राजस्थान पेज 712, डीएनजे 2013 (3) राजस्थान पेज 1219, डीएनजे 2007 (2) राजस्थान पेज 622 न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

4. रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि पूर्ववर्ती वाद बअनवानी ''जलंधर सिंह बनाम अमृतपाल कोर'' अन्तर्गत धारा 53, 88 आरटीए प्रस्तुत किया गया था। उक्त वाद में दिनांक 26.03.2007 को निर्णय एवं डिकी पारित हुई जिसकी निगरानी माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन है। हस्तगत वाद पत्र भी धारा 53 व 88 आरटीए का प्रस्तुत किया गया। पूर्ववर्ती वाद में वर्णित पक्षकारों को इस वाद पत्र में शामिल करते हुए वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है इस कारण पक्षकार समान है। पूर्ववर्ती वाद में वादी ने अपने कब्जा काश्त के अनुसार कृषि भूमि का विभाजन मांगते हुए खाता विभाजन का अनुतोष चाहा था तथा वादी द्वारा हरनाम सिंह के वारिसान के रूप में स्वयं को स्थापित करते हुए हरनाम सिंह से उनके हक व हिस्सा में आई कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार का अनुतोष चाहते हुए वाद पत्र प्रस्तुत किया गया। विधि के आज्ञापक प्रावधानों धारा 53 (5) आरटीए में यह स्पष्ट उल्लेख है कि एक से अधिक जोत के विभाजन के लिये एक ही वाद संस्थित किया जायेगा। पूर्ववर्ती वाद में अपीलांट द्वारा कोई अनुतोष नहीं मांगा तो उस अनुतोष के भाग का परित्याग समझा जायेगा। रेस्पोडेंट ने अपनी बहस के समर्थन में सिविल कोर्ट कैसेज 2015 (1) (1) पेज 154 डीएनजे 2019 सुप्रीम कोर्ट पेज 669, सिविल कोर्ट कैसेज 2020 (4) पेज 545, सिविल कोर्ट कैसेज 2012 (3) पेज 193 न्यायिक दृष्टयांत प्रस्तुत किये।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. हस्तगत वाद में अपीलान्ट ने अच्छी मन्दी के हिसाब से व काश्त की सुविधा अनुसार घरू बटवारा के कथन करते हुए हरनाम सिंह के वारिसान की हैसियत से विरासतन कृषि भूमि में अपने हक हिस्सा के लिये अनुतोष चाहा गया है तथा पूर्ववर्ती वाद में अपीलान्ट ने सांझे खाते के सहखातेदारो के साथ घरू विभाजन होने के कथन किया है। पूर्ववर्ती वाद में वर्णित भूमि के लिए अपीलांट ने अनुतोष चाहा था वह भी हरनाम सिंह से ही प्राप्त हुई थी। पूर्ववर्ती वाद के पक्षकारों को हस्तगत वाद पत्र में शामिल करते हुए पक्षकार बनाया गया है। पूर्ववर्ती वाद में अपीलांट द्वारा हरनाम सिंह के वारीसान के रूप में वाद संख्या 19/2007 जरिये डिक्री दिनांक 03.04..2007 अपना विरासतन हक व हिस्सा प्राप्त कर लिया। उक्त दावे में हस्तगत वाद पत्र में दर्ज आराजी को शामिल नहीं किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश के सम्बन्ध में की गई विवेचना विधिसम्मत है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर संगरिया का अपीलाधीन निर्णय दिनांक

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

16.09.2019 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.1.23 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

4.1.23

(करतारसिंह पूनियां)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़ (राज.)